राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1441/2014..... जिला .....भीलवाड़ा.....

उनवान : मैसर्स संगम इण्डिया लिमिटेड, भीलवाड़ा बनाम (1) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (2) अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर भीलवाड़ा.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2014	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 64/वेट/14–15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.08.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 15.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से अस्वीकार किया है। अपीलार्थी ने अपील के साथ प्रकरण में कर, ब्याज व शास्ति की बकाया मांग राशि रूपये 77,64,354/– को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एम.एल.पाटौदी एवं प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा की बहस दिनांक 24.09.2014 को सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के ही प्रकरण में समान बिन्दुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1450/2013/भीलवाड़ा को स्वीकार कर, कायम की गयी कर व अनवुर्ती ब्याज की मांग राशियों को अपास्त किया गया है । अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने का कथन कर, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी व प्रकरण के संबंध में कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2014 के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, वसूली योग्य राशि रू.77,64,354/– पर पर, निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में दो मोतबर जमानत नियमानुसार प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है। रोक आदेश की पालना नहीं करने की दशा में उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। निर्णय प्रसारित किया गया। 7.10.2014 (मदन लाल) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	